रायपुर, दिनांक 5 अक्टूबर 2010

क्रमांक एफ 10-15/2010/16.—छत्तीसगढ़ औद्योगिक विवाद नियम, 1957 के नियम 25-ए के उपनियम (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं इस विषयक पूर्व में जारी समस्त अधिसूचनाओं को अधिष्ठित करते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा श्रीमती सविता मिश्रा, प्रभारी उपश्रमायुक्त को औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (क्रमांक 14 सन् 1947) की धारा 10 एवं धारा 12 की उपधारा (5) के अंतर्गत संदर्भित औद्योगिक विवादों में श्रम न्यायालय या औद्योगिक न्यायाधिकरण द्वारा पारित प्रत्येक पंच निर्णय के प्राप्ति की अभिस्वीकृति प्रदान करने हेतु प्राधिकृत करता है.

No. F 10-15/2010/16.—In exercise of powers conferred by sub rule (1) of rule 25-A of the Chhattisgarh Industrial Disputes Rules, 1957 and in supersession of all previous notifications on the subject, the State Government hereby authorise Smt. Savita Mishra, Incharge Deputy Labour Commissioner to acknowledge the receipt of every arbitration award of Labour Court or Industrial Tribunal in an industrial dispute referred to it under section 10 and sub-section (5) of section 12 of the Industrial Disputes Act, 1947 (No. 14 of 1947).

रायपुर, दिनांक 5 अक्टूबर 2010

क्रमांक एफ 10-15/2010/16.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (क्रमांक 14 सन् 1947) की धारा 39 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं इस विषयक पूर्व में जारी समस्त अधिसूचनाओं को अधिष्ठित करते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 33-सी के अधीन प्रयोज्य शक्ति, श्रीमती सविता मिश्रा, प्रभारी उप श्रमायुक्त द्वारा संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य के लिये प्रयोग में लायी जायेगी.

No. F 10-15/2010/16.—In exercise of powers conferred by Section 39 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) and in supersession of all previous notifications on the subject, the State Government hereby direct that the power under Section 33-C of the said act shall be exercisable by Smt. Savita Mishra, Incharge Deputy Labour Commissioner for whole of the Chhattisgarh State.

रायपुर, दिनांक 5 अक्टूबर 2010

क्रमांक एफ 10-15/2010/16.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (क्रमांक 14 सन् 1947) की धारा 39 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं इस विषयक पूर्व में जारी समस्त अधिसूचनाओं को अधिष्ठित करते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 12(3) के अधीन प्रयोज्य शक्ति, श्रीमती सविता मिश्रा, प्रभारी उप श्रमायुक्त द्वारा संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य के लिये प्रयोग में लायी जायेगी.

No. F 10-15/2010/16.—In exercise of powers conferred by Section 39 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) and in supersession of all previous notifications on the subject, the State Government hereby direct that the power under Section 12(3) of the said act shall be exercisable by Smt. Savita Mishra, Incharge Deputy Labour Commissioner for whole of the Chhattisgarh State.

रायपुर, दिनांक 5 अक्टूबर 2010

क्रमांक एफ 10-15/2010/16.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (क्रमांक 14 सन् 1947) की धारा 39 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं इस विषयक पूर्व में जारी समस्त अधिसूचनाओं को अधिष्ठित करते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 12(5) के अधीन प्रयोज्य शक्ति, श्रीमती सविता मिश्रा, प्रभारी उप श्रमायुक्त द्वारा संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य के लिये प्रयोग में लायी जायेगी.

No. F 10-15/2010/16.—In exercise of powers conferred by Section 39 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) and in supersession of all previous notifications on the subject, the State Government hereby direct that the power under Section 12(5) of the said act shall be exercisable by Smt. Savita Mishra, Incharge Deputy Labour Commissioner for whole of the Chhattisgarh State.

रायपुर, दिनांक 5 अक्टूबर 2010

क्रमांक एफ 10-15/2010/16.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (क्रमांक 14 सन् 1947) की धारा 39 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं इस विषयक पूर्व में जारी समस्त अधिसूचनाओं को अधिष्ठित करते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 10 के अधीन प्रयोज्य शक्ति, श्रीमती सविता मिश्रा, प्रभारी उप श्रमायुक्त द्वारा संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य के लिये प्रयोग में लायी जायेगी.

No. F 10-15/2010/16.—In exercise of powers conferred by Section 39 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) and in supersession of all previous notifications on the subject, the State Government hereby direct that the power under Section 10 of the said act shall be exercisable by Smt. Savita Mishra, Incharge Deputy Labour Commissioner for whole of the Chhattisgarh State.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. डी. कुंजाम, उप-सचिव.

वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 27 सितम्बर 2010

क्रमांक एफ 6-231/2008/वाक (आब)/पांच.—राज्य शासन एतद्द्वारा निम्नलिखित आबकारी उपनिरीक्षक को सहायक जिला आबकारी अधिकारी के पद पर वेतन बैण्ड रुपये 9300-34800 एवं ग्रेड वेतन रुपये 4300 में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पदोन्नत करते हुए उनके नाम के सामने कॉलम-3 में दर्शाये स्थान पर अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक पदस्थ करता है :—

स. क्र.	अधिकारी का नाम, पदनाम तथा वर्तमान पदस्थापना	पदोन्नति उपरांत नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)
1.	श्री जगदीश कुमार अरोरा, कार्यालय, सहायक आयुक्त आबकारी, जिला-राजनांदगांव	कार्यालय, जिला आबकारी अधिकारी, जिला-बीजापुर
2.	श्री संजय कुमार अग्रवाल, कार्यालय, सहायक आयुक्त आबकारी, जिला-रायपुर	कार्यालय, जिला आबकारी अधिकारी, जिला-सरगुजा
3.	श्री सत्येन्द्र कुमार जैन, कार्यालय, सहायक आयुक्त आबकारी, जिला-रायपुर	कार्यालय, सहायक आयुक्त आबकारी, जिला-कोरबा
4.	श्री उमेश कुमार शुक्ला, कार्यालय, संभागीय उड़नदस्ता, जिला-बिलासपुर	कार्यालय, सहायक आयुक्त आबकारी, जिला-बिलासपुर

3. अत: राज्य शासन एतद्द्वारा रायपुर विकास योजना (पुनर्विलोकित) 2021 में उपरोक्त उपांतरण की पुष्टि करता है. उक्त उपांतरण रायपुर विकास योजना (पुनर्विलोकित) 2021 का अंगीकृत भाग होगा.

रायपुर, दिनांक 28 अगस्त 2010

क्रमांक-एफ 7-29/2010/32.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 13 की उपधारा (1) के अंतर्गत राज्य शासन एतद्द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए अंबागढ़ चौकी, निवेश क्षेत्र का गठन करती है, जिसकी सीमाएं नीचे दी गई अनुसूची में परिनिश्चित की गई है :—

अनुसूची

अंबागढ़ चौकी निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में : ग्राम केकतीटोला, ग्राम मालडोंगरी, ग्राम मेरेगांव तथा ग्राम केसला की उत्तरी सीमा तक.

पूर्व में : ग्राम केसला, ग्राम सिर्राभाटा, ग्राम बोईरडीह तथा ग्राम अंबागढ़ चौकी की पूर्वी सीमा तक.

दक्षिण में : ग्राम अंबागढ़ चौकी, ग्राम कान्हे तथा ग्राम हाथीकन्हार की दक्षिणी सीमा तक.

पश्चिम में : ग्राम हाथीकन्हार तथा ग्राम केकतीटोला की पश्चिमी सीमा तक.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमित कटारिया, उप-सचिव.

श्रम विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 26 अगस्त 2010

क्रमांक एफ 10-23/2010/16.—छत्तीसगढ़ औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 (1960 का क्रमांक 27) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए इस संबंध में पूर्व में प्रसारित समस्त अधिसूचनाओं को अधिक्रमित करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा "श्री आलोक अवस्थी" को छत्तीसगढ़ राज्य के लिए "श्रम आयुक्त" नियुक्त करता है.

No. F 10-23/2010/16.—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3 of Chhattisgarh Industrial Relation Act, 1960 (No. 27 of 1960). The State Government in supersession of all previous notification issued in this regard, appoints "Shri Alok Awasthi" as the "Labour Commissioner" for the State of Chhattisgarh.

रायपुर, दिनांक 26 अगस्त 2010

क्रमांक एफ 10-23/2010/16.—छत्तीसगढ़ औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए इस संबंध में पूर्व में प्रसारित समस्त अधिसूचनाओं को अधिक्रमित करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा "श्री आलोक अवस्थी" श्रम आयुक्त को छत्तीसगढ़ राज्य के लिए "मुख्य संराधक" नियुक्त करता है.

No. F 10-23/2010/16.—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 4 of Chhattisgarh Industrial Relation Act, 1960 and in supersession of all previous notification issued on the subject, State Government hereby appoints "Shri Alok Awasthi" Labour Commissioner to be "Chief Conciliator" for the State of Chhattisgarh.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. डी. कुंजाम, उप-सचिव.

श्रम विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 26 जुलाई 2013

क्रमांक एफ 10-07/2013/16.—औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 3(1) में प्रदत्त शक्तियों के अधीन राज्य शासन एतद्द्वारा राज्य में स्थित उन समस्त औद्योगिक स्थापनाओं में जिनके लिए राज्य सरकार समुचित सरकार है तथा जिनमें एक सौ या उससे अधिक कर्मकार नियोजित हैं या पूर्ववर्ती बारह मासों में किसी भी दिन नियोजित रहे हैं, को अपनी औद्योगिक स्थापनाओं में अधिनियम की धारा 3(1) (2) एवं छत्तीसगढ़ औद्योगिक विवाद नियम 1957 के नियम 38 के अंतर्गत कर्म समिति गठित किये जाने का निर्देश देती है.

औद्योगिक स्थापनाओं के नियोजकों द्वारा कर्म समिति गठित की जाकर उसकी प्रतिलिपि श्रमायुक्त, छत्तीसगढ़, रायपुर एवं संबंधित जिलों के सहायक श्रमायुक्तों एवं श्रम पदाधिकारियों को प्रेषित करेंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. आर. मालवीय, उप-सचिव.

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

कार्यालय आयुक्त, महात्मा गांधी नरेगा
विभागाध्यक्ष कार्यालय, इन्द्रावती भवन, द्वितीय तल, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 14 अगस्त 2013

क्रमांक 2270/वि-7/MGNREGA/2013.—महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 (2005 का सं. 42) की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में,—

1. योजना में, जहां कहीं भी अंक एवं शब्द "100 दिवस" आया हो के स्थान पर, अंक एवं शब्द "150 दिवस" प्रतिस्थापित किया जाये.

2. पैरा 5.2 के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—
"5.2.1. वित्तीय वर्ष में 50 दिवस के अतिरिक्त रोजगार उपलब्ध कराने हेतु अतिरिक्त व्यय राज्य शासन द्वारा वहन किया जायेगा."

No. 2270/वि-7/MGNREGA/2013.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 of the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, 2005 (No. 42 of 2005), the State Government, hereby, makes the following amendment in the Chhattisgarh Rural Employment Guarantee Scheme, namely :—

AMENDMENT

In the said notification,—

1. In the scheme, for the figure and word "100 days" wherever they occur, the figure and word "150 days" shall be substituted.

2. After Para 5.2, the following shall be added, namely :—
"5.2.1. Additional cost for providing 50 days of additional employment in a financial year shall be borne by the State Government."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. टैडन, संयुक्त सचिव.

श्रम विभाग
महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर

//अधिसूचना//

रायपुर दिनांक : 26.07.2013

क्रमांक एफ 10–07/2013/16 :– औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 3(1) में प्रदत्त शक्तियों के अधीन राज्य शासन एतद् द्वारा राज्य में स्थित उन समस्त औद्योगिक स्थापनाओं में जिनके लिए राज्य सरकार समुचित सरकार है तथा जिनमें एक सौ या उससे अधिक कर्मकार नियोजित हैं या पूर्ववर्ती बारह मासों में किसी भी दिन नियोजित रहे हैं, को अपनी औद्योगिक स्थापनाओं में अधिनियम की धारा 3(1)(2) एवं छत्तीसगढ़ औद्योगिक विवाद नियम 1957 के नियम 38 के अंतर्गत कर्म समिति गठित किये जाने का निर्देश देती है।

औद्योगिक स्थापनाओं के नियोजकों द्वारा कर्म समिति गठित की जाकर उसकी प्रतिलिपि श्रमायुक्त, छत्तीसगढ़, रायपुर एवं संबंधित जिलों के सहायक श्रमायुक्तों एवं श्रम पदाधिकारियों को प्रेषित करेंगे।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल नाम से तथा
आदेशानुसार

(जी.आर.मालवीय)
उप सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग

पृष्ठांकन क्र. एफ 10–07/2013/16 रायपुर दिनांक 26.07.2013

प्रतिलिपि:–

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, श्रम विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर, (छ.ग.)
2. अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर (छ.ग.)
3. श्रमायुक्त, श्रमायुक्त कार्यालय, रायपुर (छ.ग.)
4. समस्त सहायक श्रमायुक्त एवं श्रम पदाधिकारी, छत्तीसगढ़।
5. संचालक, जनसम्पर्क छत्तीसगढ़, रायपुर की ओर उपरोक्त अधिसूचना जन सामान्य के सूचनार्थ समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन हेतु।
6. उप संचालक, शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, खैरागढ़ रोड़ राजनांदगांव (छ.ग.) की ओर आगामी राजपत्र में प्रकाशित किये जाने हेतु सूचनार्थ प्रेषित। कृपया राजपत्र की 50 प्रतियां इस विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
7. स्टॉक फाईल।

उप सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग